

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, वाराणसी

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, VARANASI

(गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, चन्दौली, सन्तरविदास नगर)

संदर्भ सं०

Ref. 526/2003/16-17

दिनांक

Date 17-05-16

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी (शस्त्र),

कृते जिला मजिस्ट्रेट,

जौनपुर।

विषय:- मे० भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०, वाराणसी रिटेल टेरिटरी कार्यालय, मुगलसराय, चन्दौली द्वारा आराजी नं०-30 मि०, 42 मि०, 43 मि०, खाता नं०-487/ए, ग्रा०-धर्मापुर, तहसील-सदर, जनपद-जौनपुर पर रिटेल अउटलेट (पेट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु अनापत्ति के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 220(5)/व००श०लि०-जौनपुर दिनांक-13 मई, 2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र के माध्यम से मेसर्स भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०, वाराणसी द्वारा आराजी नं०-30 मि०, 42 मि०, 43 मि०, खाता नं०-487/ए, ग्रा०-धर्मापुर, तहसील-सदर, जनपद-जौनपुर पर रिटेल अउटलेट (पेट्रोल पम्प) खोलने हेतु स्पष्ट अभिमत की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के सम्बंध में अवगत कराना है कि परिक्षणोंपरांत यह पाया गया कि मेसर्स भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०, वाराणसी द्वारा आराजी नं०-30 मि०, 42 मि०, 43 मि०, खाता नं०-487/ए, ग्रा०-धर्मापुर, तहसील-सदर, जनपद-जौनपुर पर रिटेल अउटलेट (पेट्रोल पम्प) पर 15 के०एल० एम.एस. क्लास 'ए' क्षमता के भूमिगत टैंक तथा 20 के०एल० एच०एस०डी० क्लास 'बी' क्षमता के भूमिगत टैंक भण्डारण की स्थापना के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने पर पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बोर्ड को कोई आपत्ति नहीं है। बशर्ते कि परिसंकटमय रसायन (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 1989 की उपविधियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। परिसर से प्रदूषित उत्प्रवाह का निस्तारण नहीं होगा तथा जनरेटर पर एकास्टिक इनक्लोजर की व्यवस्था की जायेगी। उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र अन्य वांछित अनुमतियों को नहीं प्रभावित करेगा।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(धनश्याम)

क्षेत्रीय अधिकारी

मे0 भारत पेट्रोलिय कार्पोरेशन लि0, वाराणसी रिटेल टेरिटरी कार्यालय, मुगलसराय, चन्दौली द्वारा आराजी नं0-30 मि0, 42 मि0, 43 मि0, खाता नं0-487/ए, ग्रा0-धर्मापुर, तहसील-सदर, जनपद-जौनपुर पर रिटेल अउटलेट (पेट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु अनापत्ति के सम्बंध में निरीक्षण आख्या-

प्रभारी अधिकारी (शस्त्र) कृते जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर के पत्र संख्या 220(5)/व00श0लि0-जौनपुर दिनांक-13 मई, 2016 के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के संदर्भ में उक्त प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक-17.05.2016 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री विजय सिंह पेट्रोल पम्प के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। उक्त रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) आराजी नं0-30 मि0, 42 मि0, 43 मि0, खाता नं0-487/ए, ग्रा0-धर्मापुर, तहसील-सदर, जनपद-जौनपुर पर स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित स्थल के चारों दिशाओं की स्थिति निम्नवत् है-

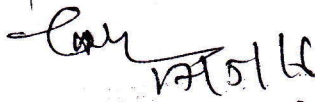
पूरब दिशा- प्रस्तावित पेट्रोल पम्प की बाउण्ड्री से सटा हुआ कृषि भूमि।
पश्चिम दिशा- प्रस्तावित पेट्रोल पम्प की बाउण्ड्री से सटा हुआ कृषि भूमि।
उत्तर दिशा- जौनपुर-आजमगढ़ राज्य राज मार्ग स्थित है।
दक्षिण दिशा- प्रस्तावित पेट्रोल पम्प की बाउण्ड्री से सटा हुआ कृषि भूमि।

स्थल के चारों दिशाओं में 01 कि0मी0 त्रिज्या के भीतर कोई भी ज्वलनशील पदार्थों का भण्डारण स्थल नहीं है। पर्यावरणीयदृष्टिकोण से बोर्ड को कोई आपत्ति नहीं है।

उपरोक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


17/05/2016
(अफजल अबरार)
वैज्ञानिक सहायक

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय


क्षेत्रीय अधिकारी
उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
वाराणसी